न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
64 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	16.07.2021	03.06.2022

डॉ. मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

......आवेदक

बनाम

1–श्री बच्छराज विजय पुत्र श्री फूलचन्द विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स पंकज कुमार मनोज कुमार विजय राजमहल रोड बोटून्दा तह. टोडारायसिंह जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 4, सीताराम जी मन्दिर के पास बोटून्दा तह. टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

2–श्री नरेन्द्र सिंहल प्रोपरायटर मैसर्स टीकमचन्द नरेन्द्र कुमार सिंहल अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।

2–अप्रार्थी संख्या 2 श्री नरेन्द्र सिंहल उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 03.06.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.03.2021 को समय 01:01 पी.एम. पर मैसर्स पंकज कुमार मनोज कुमार विजय राजमहल रोड बोटून्दा तह. टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री बच्छराज विजय पुत्र श्री फूलचन्द विजय मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बच्छराज विजय ने स्वयं को मैसर्स पंकज कुमार मनोज कुमार विजय राजमहल रोड बोटून्दा तह. टोडारायसिंह जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र ऑनलाईन आवेदन करना बताया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले, नमकीन आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का नूर ब्राण्ड (Dry Fruits Dakh Munnakka Abjosh Noor Brand)** दुकान फ्रीजर में 250–250 ग्राम के 8 नग रखे हुये थे, जिसे देखने पर मिलावट की शंका हाने पर विक्रेता श्री बच्छराज विजय को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री बच्छराज विजय व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का नूर ब्राण्ड (Dry Fruits Dakh Munnakka**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Abjosh Noor Brand) वास्ते नमूना जांच क्रय किए जा रहे है, 250–250 ग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का नूर ब्राण्ड (Dry Fruits Dakh Munnakka Abjosh Noor Brand)** को 250–250 ग्राम को बराबर–बराबर एक नग (एक भाग 250 ग्राम) को ज्यों का त्यों खाकी कागज के लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2841 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2841 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री बच्छराज विजय पुत्र श्री फूलचन्द विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स पंकज कुमार मनोज कुमार विजय राजमहल रोड बोटून्दा तह. टोडारायसिंह जिला टोंक ने मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ का बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री बच्छराज विजय पुत्र श्री फूलचन्द विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स पंकज कुमार मनोज कुमार विजय राजमहल रोड बोटून्दा तह. टोडारायसिंह जिला टोंक ने दिनांक 16.04.2021 को आवेदक के कार्यालय में उपस्थित होकर मैसर्स टीकमचन्द नरेन्द्र कुमार सिंहल अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स टीकमचन्द नरेन्द्र कुमार सिंहल अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज व बतौर वारन्टी मैसर्स कमल ट्रेडिंग कम्पनी गणगौरी बाजार जयपुर का खरीद बिल प्रेषित किया परन्तु इसमें उक्त खाद्य पदार्थ का नाम अंकित नहीं था।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/1004 दिनांक 13.05.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/564/एक्ट/2021/603 दिनांक 08.04.2021 के अनुसार विक्रेता श्री बच्छराज विजय से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गय **ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का नूर ब्राण्ड (Dry Fruits Dakh Munnakka Abjosh Noor Brand)** एफ.एस.एस.ए की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का नूर ब्राण्ड (Dry Fruits Dakh**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Munnakka Abjosh Noor Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं. 1 अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 श्री नरेन्द्र सिंहल उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का नूर ब्राण्ड (Dry Fruits Dakh Munnakka Abjosh Noor Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का नूर ब्राण्ड (Dry Fruits Dakh Munnakka Abjosh Noor Brand)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 श्री बच्छराज विजय पुत्र श्री फूलचन्द विजय पर शास्ति रूपये 50,000 / – (अक्षरे पचास हजार रू0) तथा अप्रार्थी संख्या 2 श्री नरेन्द्र सिंहल पर शास्ति रूपये 50,000 / –(अक्षरे पचास हजार रू0) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0